	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 13, शुक्रवार, शाके 1938–नवम्बर 4, 2016 *Kartika 13, Friday, Saka 1938–November 4, 2016*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(सामान्य वित्तीय और लेखा अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 4, 2016

एस.ओ.95 :–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्र और राज्य सरकार की सामाजिक– आर्थिक नीतियों, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के साधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए आवश्यक है, इस विभाग की, समय–समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्याक एफ. 1(8) एफ. डी/जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा, निम्नांकित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 47 के सामने स्तंभ 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''पीडीकोर, वेपकोस, नेबकॉन से'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''पीडीकोर, वेपकोस, नेबकॉन, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (रा.रा.स.वि.नि.) से'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ. 1(8) एफ. डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011]

राज्यपाल के आदेश से,

नवीन महाजन,

शासन सचिव।

FINANCE DEPARTMENT

(General Financial & Accounts Division)

NOTIFICATION

Jaipur, November 4, 2016

S.O.95 .- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central and the State Government, utilization of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government or the State Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing of bids individually, hereby makes the following amendments in this department's notification number F. 1(8)/FD/GR&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely :-

AMENDMENT

In table of the said notification, in column 3 against serial number 47, for the existing expression " From PDCOR, WAPCOS, NABCON, the expression "From PDCOR, WAPCOS, NABCON", Rajasthan State Road Development Corporation (RSRDC)" shall be substituted.

[No. F. 1(8) FD/GF&AR/2011]
By Order of the Governor,
Naveen Mahajan,
Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.